फर्द अहकाम

रामजीलाल व अन्य० बनाम फूलादेवी व अन्य०

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

188/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली आदेश के विचारार्थ है। वकील उभय पक्ष की बहस श्रवण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाकर [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कौलम इन्द्राज होकर रिकार्ड में जमा हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
8/2024	06.11.2024	24.03.2025

1. रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम
2. गुल्लाराम पुत्र गोविन्दराम
3. जगदीश पुत्र गोविन्दराम
4. प्रभू पुत्र गोविन्दराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम धुलारावजी तहसील आंधी जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान।

वादीगण

बनाम

फूला देवी पत्नि कल्याण सहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कूकस तेजाजी मन्दिर के पास, तहसील आमेर जिला जयपुर ग्रामीण राज0।

राजूदेवी पत्नि रामजीलाल सैनी

अनोखी देवी पत्नि सुवालाल सैनी

समस्त जाति माली समस्त निवासी ग्राम धुलारावजी तहसील आंधी जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

उप पंजीयक आंधी जिला जयपुर ग्रामीण राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री किशनलाल :– वकील वादीगण।
श्री गौरव शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 2 व 3

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री किशन लाल ने यह वाद इन कथनो के आधार पर पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 182 रकबा 10.8500है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 3.3500है0, कुल किता 6 कुल रकबा 14.2900है0 है। जो कि ग्राम धुलारावजी पटवार हल्का धूलारावजी तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसे आगे वादग्रस्त सम्बोधित किया गया है। वादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा हि0 1/12 भाग राजस्व रिकार्ड में स्थित थी तथा दिनांक 18.07.2007 को उक्त वादीगणों ने अपने हिस्सा 1/12 (4बीघा 14 बिस्वा) जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2007 को प्रतिवादी सं0 1 फूलादेवी पत्नि कल्याण सहाय शर्मा निवासी ग्राम कूकस

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

तहसील आमेर जिला जयपुर को विकय की गयी थी। जिसके बाद वादीगणों के पास शेष भूमि 29.16 बिस्वा थी। दिनांक 18.07.2007 को विकय करने के बाद नामा0 संख्या 523 दिनांक 20.12.2007 के द्वारा विकय का नामा0 केती फूलादेवी पत्नि कल्याण सहाय के नाम साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा 1/12 भाग में से 65/1130 भाग (अर्थात 3 बीघा 5 बिस्वा) का नही खोलकर सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 भाग (4 बीघा 14 बिस्वा) का खोल दिया गया जो कि गलत था। जिसका जमाबन्दी संवत 2058–2061 मे गलत अंकन दर्ज है। उक्त बैचान का नामान्तकरण जमाबन्दी मे अमल होने के बाद हाल सेटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 180, 181, 182, 183, 188, 189 कुल किता 6 कुल रकबा 14.2900है0 बनाया गया और प्रतिवादी सं0 1 फूलादेवी के हिस्सा 1/12 भाग अनुसार रकबा 1.1908है0 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी कायम की गयी। उसके बाद अन्य खातेदार कमलादेवी शर्मा पत्नि बद्रीनारायण व मनभरदेवी शर्मा पत्नि राधेश्याम के साथ प्रतिवादी सं0 1 फूलादेवी ने दिनांक 11.07.2024 को अपना दर्ज हिस्सा 1/12 अर्थात 1.1908है (4बीघा 14 बिस्वा) भूमि मे से केवल 8750/11908 भाग (अर्थात रकबा 0.8750है0) केतागण 1–कमली देवी पत्नि नहनूराम सैनी, 2–राजू देवी पत्नि रामजीलाल सैनी, 3–गुडडी देवी पत्नि मूलचन्द सैनी, 4–रेखा देवी पत्नि छोटूलाल सैनी, 5–हीरा देवी पत्नि भींवाराम सैनी, 6–कालीदेवी पत्नि रामफूल सैनी, 7–अनोखी देवी पत्नि सुवालाल सैनी समस्त जाति माली समस्त निवासी ग्राम धुलारावजी तहसील आंधी जिला जयपुर को विकय कर दिया और विकय करने के बाद प्रतिवादी सं0 1 के पास रकबा 1579/71448 भाग (अर्थात 0.3158है0) भूमि शेष रही है। जो आज दिनांक तक हाल जमाबन्दी में दर्ज स्थित है। जोकि बिना किसी आदेश व न्याय व नियम के विरूद्व होने से प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। दुरूस्त किया जाने योग्य है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 180, 181, 182, 183, 188, 189 कुल किता 6 कुल रकबा 14.2900है0 में प्रतिवादी सं0 1 फूलादेवी पत्नि कल्याण सहाय शर्मा हि0 1579/71448 को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार हिस्सा बराबर घोषित किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गौरवा शर्मा ने दिनांक 25.11.24 को उपस्थित होकर वकालतनामा मय सहमति प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादी सं0 1 को बार–बार आवाज लगवाई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः दिनांक 20.01.25 को प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 4 (पैरोकार सरकर तहसीलदार आंधी) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/906 दिनांक 03.12.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम धूलारावजी के आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 182 रकबा 10.82है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.05है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 3.35है0 कुल किता 6 रकबा 14.29है0 वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा मे जरिये विकय पत्र कमांक 2007051005559 दिनांक 18.07.07 के द्वारा हिस्सा 1/12 में से 65/1130 (अर्थात 3 बीघा 5 बिस्वा) भूमि का बैचान किया गया। दिनांक 18.07.2007 को विकय पत्र के बाद नामा0 सं0 523 दिनांक 20.12.2007 के द्वारा विकय का नामा0 केती फुलादेवी पत्नि कल्याण सहाय के नाम साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा हि0 1/12 में से 65/1130 (अर्थात 3बीघा 5 बिस्वा) का नही खोलकर सम्पूर्ण हि0 1/12 (4 बीघा 14 बिस्वा) का खेल

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

दिया गया। उक्त बैचान का नामा0 जमाबन्दी के अमल होने के बाद हाल सेटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 14.29है0 है। प्रतिवादी सं0 1 फूलादेवी के हिस्सा 1/12 भाग अनुसार दर्ज किया जाकर जमाबन्दी कायम की गयी उसके बाद अन्य खातेदार कमलादेवी शर्मा पत्नि बद्रीनारायण व मनभरदेवी शर्मा पत्नि राधेश्याम साथ प्रतिवादी सं0 1 फलादेवी ने दिनांक 11.07.2024 को अपना दर्ज हिस्सा 1/12 अर्थात 1.1908है0 भूमि में से 8750/11908 भाग केतागण 1 कमली देवी पत्नि नहनू राम रैनी, 2. राजूदेवी पत्नि रामजीलाल, 3. गुडडी देवी पत्नि मूलचन्द, 4. रेखा देवी पत्नि छोटूराम, 5. हीरा देवी पत्नि भींवाराम, 6. काली देवी पत्नि रामफूल, 7. अनोखी देवी पत्नि सुवालाल समस्त जाति माली निवासी ग्राम धूलारावजी तहसील आंधी जिला जयपुर को विकय कर दिया और विकय करने के बाद प्रतिवादी सं0 1 के पास हिस्सा 1579/71448 भाग भूमि शेष रही है। जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद अनुसार विकय पत्र कमांक 2007051005559 दिनांक 18.07.2007 व नामा0 सं0 523 दिनांक 20.12.2007 का मिलान किया गया जो कि उक्त विकय पत्र अनुसार विकेता को विकय किया गया हिस्सो का नामा0 न खोलकर समस्त हिस्से का नामा0 खोला गया जो कि विकय पत्र अनुसार गलत है। अतः उक्त विकय पत्र के अनुसार केता के पक्ष में कय हिस्से का ही नामा0 खोलना चाहिए था जो कि सही है। शेष हिस्सा विकेताओं के नाम ही जमाबन्दी में अमल किया जाना उचित होगा।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वादीगणों की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ारा खसरा नम्बर 180, 181, 182, 183, 188, 189 कुल किता 6 कुल रकबा 14.2900है0 में प्रतिवादी सं0 1 फूलादेवी पत्नि कल्याण सहाय शर्मा हि0 1579/71448 का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादीगणों को रकबा 1579/71448 का खातेदार काश्तकार हिस्सा बराबर घोषित किया जावें तथा उसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान किया जावें।

वकील प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपनी बहस में सहमति प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 डिकी किया जाकर ग्राम धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगणों की भूमि खसरा नम्बर 180, 181, 182, 183, 188, 189 कुल किता 6 कुल रकबा 14.2900है0 फुलादेवी पत्नि कल्याण सहाय हि0 1579/71448 का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादीगणों रकबा 1579/71448 का खातेदार काश्तकार हिस्सा बराबर घोषित किया जाना सही है।

बहस वकील उभय पक्षों की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस का मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वाद अनुसार विकय पत्र कमांक 2007051005559 दिनांक 18.07.2007 व नामा0 सं0 523 दिनांक 20.12.2007 का मिलान किया गया जो कि उक्त विकय पत्र अनुसार विकेता को विकय किया गये हिस्सो का नामा0 न खोलकर समस्त हिस्से का नामा0 खोला गया जो कि विकय पत्र अनुसार गलत है। अतः उक्त विकय पत्र के अनुसार केता के पक्ष में कय हिस्से का ही नामा0 खोलना चाहिए था जो कि सही है। शेष हिस्सा विकेताओं के नाम ही जमाबन्दी में अमल किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

आदेश

अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर को आदेश दिया जाता कि ग्राम धुलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 182 रकबा 10.8500है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.0500है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 3.3500है0, कुल किता 6 कुल रकबा 14.2900है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलादेवी पत्नि कल्याण सहाय हि0 1579/71448 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0कूकस तहसील आमेर जिला जयपुर का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादीगणों को रकबा 0.3158है अर्थात 1579/71448 भाग का खातेदार काश्तकार हिस्सा बराबर घोषित किया जाता है तथा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादी सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में वादीगण को हैरान परेशान ना तो स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट या अन्य से करावें। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो एवं पालनार्थ तहसीलदार को पत्र जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर आज दिनांक 24.03.2025 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर